कार्यालय जिला परिषद, नवादा।

जिला परिषद, नवादा द्वारा बस एवं टैक्सी पड़ावों की बन्दोवस्ती के नियम एवं शर्त्त

(1) जिला परिषद्, नवादा द्वारा संचालित बस एवं टैक्सी पड़ाव की बन्दोवस्ती खुले डाक द्वारा की जायेगी।

(2) डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि के पूर्व अग्रधन की राशि प्राप्ति रसीद लेकर श्री आदित्य सिंह, रोकड़पाल, जिला परिषद्, नवादा को जमा करना आवश्यक होगा।

(3) उच्चतम डाक की राशि आधी राशि उसी समय जमा करना होगा एवं आधी राशि दो समान किस्तों में दिनांक 30.06.14 एवं 30.09.14 तक जमा करना होगा। उक्त राशि जमा नहीं होने पर बन्दोवस्ती स्वतः रद्द माना जायेगा। बकाया राशि की वसूली की निलाम पत्रवाद दायर कर कार्रवाई की जायेगी। साथ ही साथ एकरारनामा के शर्त्तों के उल्लंघन के लिए भारतीय दंड विधान की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की जायेगी।

(4) अत्याधिक स्पर्धा की जैसे–जैसे डाक की राशि बढ़ेगी वैसे–वैसे अनुपातिक राशि जमा करने के पश्चात ही डाकवक्ता आगे बोली बोल सकेंगें।

(5) किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था प्राकृति आपदा वाहन हड़ताल तथा अन्य स्थानीय कारंणों से हानि की स्थिति में बन्दोवस्ती की राशि में किसी तरह की छूट अथवा क्षतिपूर्ति करने का दायित्व जिला परिषद् पर नहीं होगी।

(6) जिला परिषद् का पूर्व बकायादार डाक में भाग नहीं ले सकेंगें। पूर्व बकायेदार डाक प्रारम्भ होने के पूर्व बकाया राशि जमा कराकर प्राप्ति रसीद के साथ डाक में भाग ले सकेंगें।

(7) उच्चतम डाक की पूरी राशि निर्धारित तिथि तक जमा नहीं करने पर अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी अन्य आवेदकों के साथ क्रमानुसार यह प्रक्रिया लागु रहेगा।

(8) नियम एवं शर्त्त के तहत बस एवं टैक्सी पड़ाव की बन्दोवस्ती तथा एकरारनामा करने के बाद अन्य आवेदक का अग्रधन वापस कर दिया जायेगा।

(9) सफल डाकवक्ता को बन्दोवस्ती राशि का तीन प्रतिशत राशि का निबन्धन विभाग के स्टाम्प पेपर पर जिला परिषद नवादा के साथ एक सप्ताह के अन्दर एकरारनामा करना होगा। एकरारनामा/निबन्धन का खर्च बन्दोवस्तधारी को स्वयं वहन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर बन्दोवस्ती मान्य नहीं होगी एवं उच्चतम दूसरे डाकवक्ता के साथ बन्दोवस्ती कर दी जायेगी।

(10) निर्धारित चुंगी के अतिरिक्त राशि वसूली किये जाने पर 5000.00 (पाँच हजार) रूपये दंड के रूप में वसूलनीय होगी एवं डाकवक्ता का नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा।

(11) बस एवं टैक्सी पड़ावों तथा दैनिक चुंगी की बन्दोवस्ती वर्ष 2014–15 (यानि दिनांक 01.04.14 से 31.03.15) के लिए की जा रही है।

(12) अद्योहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये बस एवं टैक्सी पड़ाव की बन्दोवस्ती स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।

(13) जिला परिषद् द्वारा बन्दोवस्त की गयी दुकानदारों के अलावे सभी दुकानदार अवैध समझे जायेंगें।

(14) बस पड़ाव की सफाई एवं विधि व्यवस्था बन्दोवस्तधारी को स्वयं करना होगा।

(15) अपराधिक चरित्र के व्यक्ति के साथ बस एवं टैक्सी पड़ाव की बन्दोवस्ती नहीं की जायेगी।

(16) डाक समाप्ति के बाद सफल डाकवक्ता द्वारा बोली गई डाक की राशि की आधी राशि

Chungi Dar

18/1/15

उसी समय कार्यालय में प्राप्त रसीद लेकर नगद जमा करना अनिवार्य होगा। अग्रधन के रूप में जमा की गई राशि का समायोजन बाद मे किया जायेगा।

(17) इच्छुक व्यक्ति नियम एवं शर्त की जानकारी मो0 500.00 रूपये नगद जमा कर जिला परिषद कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।

(18) यदि सफल डाकवक्ता डाक के समय बोली गयी उच्चतम डाक की राशि की आधी राशि को नगद जमा करने में असफल होंगे तो उनके द्वारा जमा की गयी अग्रधन राशि को जब्त कर ली जाएगी एवं द्वितीय अधिकतम डाकवक्ता के साथ सैरात की बन्दोवस्ती पर विचार किया जा सकता है।

(19) जिला परिषद् द्वारा चुंगी वसूली करने के लिये निम्नलिखित दर है :—

<u>बस पड़ाव संख्या 3 नवादा एवं बुधौल (नवादा) की चुंगी वसूली दर</u>

1	बस	115.00
2	मिनी बस	70.00
3	टाटा मैक्सी	60.00
4	जीप	35.00
5	टेम्पो	10.00

<u>बस एवं टैक्सी पड़ाव हिसुआ रजौली/सिरदला/धमौल की चुंगी दर</u>

1	बस	55.00
2	मिनी बस	50.00
3	टाटा मैक्सी	30.00
4	जीप	20.00
5	टेम्पो	10.00

उप विकास आयुक्त—सह—
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद्, नवादा।